दिनांक 23.01.2024 को जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग –सह– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के पदाधिकारियों / कर्मियों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– यथा संधारित।

कार्यवाही :–

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वप्रथम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को दिये गए 60 लैपटॉप के संबंध में पृच्छा के क्रम में बताया गया कि उक्त लैपटॉप बन्दोबस्त कार्यालयों, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया व शास्त्रीनगर एवं निदेशालय में पदस्थापित / प्रतिनियुक्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों / राजस्व अधिकारियों को दी जानी है। जिन पदाधिकारियों को लैपटॉप वितरित की जानी है उनका नाम तथा कार्यालय का नाम अंकित करते हुए लैपटॉप वितरण सूची जिलावार तैयार करने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् लैपटॉप को वितरित करने का कार्य किया जाय। बैठक में निदेशालय में पदस्थापित / प्रतिनियुक्त 07 राजस्व पदाधिकारियों / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों को लैपटॉप वितरित किया गया। निदेश दिया गया कि निदेशालय में प्रतिनियुक्त राजस्व पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी जिनको लैपटॉप दिया गया है उनके संबंधित कार्यालय को इस आशय की सूचना प्रेषित कर दी जाय।

2. **सहायक निदेशक, उप निदेशक एवं विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनके द्वारा साप्ताहिक स्तर पर समीक्षात्मक बैठक कार्य आवंटन तालिका के अनुरूप अपने से संबंधित विषय के संबंध में Documented करते हुए किया जाय और समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।**

3. पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेशों के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है :–

क्र0सं0	संबंधित कर्मी / कोषांग		बैठक में दिये गए निदेश	अनुपालन की स्थिति एवं निदेश
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग	i	प्लॉट की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन तथा मार्बल	बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के 1000 तक के प्लॉट वाले ग्रामों की संख्या एवं वितरित मानचित्र की संख्या से संबंधित विवरणी / प्रतिवेदन तैयार करने हेतु पूर्व में दिये गए निदेश के अनुपालन के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि यह लगभग तैयार है तथा 2–3 दिनों में उपस्थापित कर दिया जायेगा। उक्त विवरणी / प्रतिवेदन से विभिन्न पदों के विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के पदस्थापन में सहुलियत होगी। उक्त के अतिरिक्त नियोजित होने वाले विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु मार्बल को Update कर संशोधित मार्बल की छपाई शीघ्र सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया गया।

2.	श्री प्रवीण कुमार स0ब0प0	i	प्रशिक्षण से संबंधित	(क) संविदा नियोजन से संबंधित कॉउसलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं जल्द ही सफल संविदा कर्मियों की सूची निदेशालय को प्राप्त होगी। संविदा नियोजन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में तकनीकी मार्गदर्शिका/मार्बल/पत्रों का कम्पेडियम/प्रशिक्षण मैनुअल/ FAQ आदि को छपाई हेतु तैयार रखा जाय। उक्त के अलावा प्रशिक्षण से संबंधित सभी किताबों को ई–बुक के रूप में भी संधारण किया जाय। उक्त हेतु प्रशिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता के संबंध में पीत–पत्र देने का निदेश दिया गया। उक्त प्रशिक्षण सामग्री की छपाई हेतु क्रय समिति की बैठक कर अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यक कार्रवाई संबंधित द्वारा करते हुए दिनांक 05.02.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से प्रतिवेदन समर्पित किया जाय कि संविदा नियोजित होने वाले 80 प्रतिशत विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के प्रशिक्षण में वितरण हेतु प्रशिक्षण किट/समाग्री तैयार है। शेष 20 प्रतिशत प्रशिक्षण सामग्री/किट की तैयारी Actual Joining Report के पश्चात् की जाएगी।
				(ख) विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। नवनियुक्त संविदा कर्मियों का प्रशिक्षण कार्य राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के अतिरिक्त राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में भी किया जाना है। आवासीय प्रशिक्षण हेतु कमरों में कितनी कुर्सी/टेबुल आदि की आवश्यकता है इस संबंध में पीत–पत्र देने का निदेश दिया गया।
3.	श्री राकेश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	i	मासिक विपत्र यथा – विद्युत, दूरभाष इत्यादि का भुगतान	पृच्छा करने पर बताया गया कि मासिक विपत्रों का भुगतान अद्यतन है।
		ii	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	(क) राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया को कार्यकारी बनाने के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि उक्त हेतु सामग्रियों का क्रय किया जा रहा है। दिनांक 10.02.2024 तक उसे कार्यकारी बना दिया जाएगा ताकि प्रशिक्षण कार्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। (ख) उक्त के अतिरिक्त जेनरेटर क्रय के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया इस हेतु निविदा समिति का गठन कर लिया गया है एवं BID की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। GeM के माध्यम से जेनरेटर क्रय की कार्रवाई दिनांक 15.02.2024 तक पूर्ण कर ली जाएगी। आवासीय प्रशिक्षण के मद्देनजर कमरों में गीजर भी लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उप निदेशक को उक्त क्रय में गुणवत्ता का भी ध्यान रखने का निदेश दिया गया।
		iii	सभी लम्बित आवंटन	पृच्छा करने पर बताया गया कि सभी जिलों को अधियाचित आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। बन्दोबस्त कार्यालयों से संबंधित मासिक समीक्षात्मक बैठक में कुछ जिलों द्वारा अतिरिक्त आवंटन की मांग की गयी थी जिसे यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

4.	श्री बब्लु कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	i	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन	पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि प्रमाण–पत्र सत्यापन से संबंधित निदेशानुसार स्मार भेजा जा रहा है। जिलों के बन्दोबस्त कार्यालयों को भी प्रमाण–पत्र के सत्यापन में सहयोग हेतु पत्र/स्मार जिलों को भेजने का निदेश दिया गया। पुनः EXCEL सॉफ्टवेयर में Individual संविदा कर्मी की Updated विवरणी को उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। पुनः निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण अमीनों के लम्बित प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु प्रत्येक 15 दिनों पर एवं शेष पदों हेतु प्रत्येक 07 दिनों पर निश्चित रूप से स्मार प्रेषित करना सुनिश्चित करें। फर्जी पाये गए अभ्यर्थियों के संबंध में यदि कोई जानकारी प्राप्त होती है अथवा पत्र द्वारा जानकारी प्राप्त होती है तो बिना किसी लापरवाही के तत्काल प्रभाव से संचिका उपस्थापित करने हेतु कर्मियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
		ii	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	
		iii	विशेष सर्वेक्षण अमीन (अमानत) के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	
5.	श्री दीपक कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक	i	विशेष सर्वेक्षण अमीन के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	
		ii	विशेष सर्वेक्षण लिपिक के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	

बैठक में उपलब्ध करायी गयी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की पदवार अद्यतन विवरणी :–

Post		Verification		Fake		Pending		Reminder to be sent
01	विशेष सर्वेक्षण अमीन	Sent	3457	Terminate	513	Fee Demand	100	292
		Reply Received	3165	In Process	0	Others	NIL	
		Verification OK	2552	**Total**	**513**	**Total**	**100**	
02	विशेष सर्वेक्षण लिपिक	Sent	364	Terminate	13	Fee Demand	23	76
		Reply Received	282	In Process	6	Others	NIL	
		Verification OK	240	**Total**	**19**	**Total**	**23**	

			Post	Verification		Fake		Pending		Reminder to be sent
6.	श्री बब्लु कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	03	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	Sent	221	Terminate	1	Fee Demand	39	21
				Reply Received	200	In Process	NIL	College Court Matter	1	
				Verification OK	159	**Total**	**1**	**Total**	**40**	
		04	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	Sent	341	Terminate	11	Fee Demand	34	12
				Reply Received	329	In Process	—	Others	NIL	
				Verification OK	284	**Total**	**11**	**Total**	**34**	
		05	अमीन (अमानत)	Sent	487	Terminate	11	Fee Demand	NIL	09
				Reply Received	478	In Process	01	Original Document Demand	01	
				Verification OK	465	**Total**	**12**	**Total**	**01**	
7.	श्री अम्बु नाथ वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी	i.	प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु राशि की मांग से संबंधित मामले का निपटारा	(क) बैठक में बताया गया कि प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु शैक्षणिक संस्थान द्वारा मांगी गयी राशि के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दस लाख रूपये का Provision कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु जिन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा राशि की मांग की जा रही है उसकी गणना कर भुगतान की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करें एवं अगली साप्ताहिक बैठक में शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध करायी गयी राशि से संबंधित विवरणी उपस्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।						

8.	श्री अमरदेव प्रसाद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	i	ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी०	(क) लम्बित ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० के संबंध में निदेश दिया गया कि दिनांक 31.01.2024 को ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० बैठक की तिथि निर्धारित करते हुए सभी आवश्यक औपचारिकताएँ / तैयारी पूर्ण किया जाय।
		ii	आरोप से संबंधित	(क) पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि निदेशालय स्तर पर आरोप से संबंधित कुल 10 लम्बित मामलों में 04 मामलों का निबटारा किया जा चुका है एवं 04 मामले संचालन पदाधिकारी के पास लम्बित है। संचालन पदाधिकारी को स्मार प्रेषित किया जा रहा है। शेष 02 मामला प्रक्रियाधीन है। आरोप से संबंधित कुल संचिकाओं की विवरणी एवं लम्बित / निष्पादित आरोपों की विवरणी से संबंधित प्रतिवेदन बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।अनुशासनिक मामलों के निष्पादन में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया।
9.	श्री अम्बु नाथ वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी	i	**महत्वपूर्ण प्रस्ताव**	बैठक में निम्न प्रस्ताव को अतिशीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया– (1) विशेष सर्वेक्षण बन्दोबस्त कार्यक्रम के Scheme Extension से संबंधित प्रस्ताव (2) विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव
		ii	**योजना एवं गैर योजना के संबंध में।**	पूर्व की बैठक में बन्दोबस्त कर्यालयों के नियमित कर्मियों के वेतनादि भुगतान योजना मद के बदले गैर योजना मद से करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि यह कार्य अभी भी लम्बित है। इस संबंध में निदेश दिया गया उक्त प्रस्ताव को 3–4 दिनों में तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
		iii	**लॉगबुक जांच**	लॉगबुक जांच प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर सहायकों / लिपिकों के लॉगबुक की जांच एवं प्रतिवेदन नियमित रूप से समर्पित करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।
		iv	विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के संबंध में।	(क) विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के अद्यतन रिक्तियों की संख्या से संबंधित पदवार विवरणी तैयार कर शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य हेतु विभिन्न संविदा पदों पर चयन का कार्य अन्तिम चरण में है। उन विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के पदस्थापन की सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण करने का निदेश दिया गया। (ख) डिजिटल मोड में सर्विस बुक में जिलों द्वारा अपलोड किये जाने वाले डाटा उदाहरणस्वरूप Thumb Impression, Service details, Photo etc के संबंध पृच्छा करने पर कोई जानकारी नही दी गयी। इससे स्पष्ट है कि यह कार्य अभी भी लम्बित है जो कि काफी खेदजनक स्थिति है। उक्त कार्य को निदेशालय स्तर से केवल Monitoring की जानी थी, जबकि अपलोड जिला स्तर से किया जाना था।

			विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के संबंध में।	इस संबंध में संबंधित द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु Access नहीं है। इस संबंध में संबंधित प्रोग्रामर को निदेश दिया गया कि आज ही उक्त का Access देना सुनिश्चित करें। इस लम्बित कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया। जिन कर्मियों/पदाधिकारियों को विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का स्थापना संबंधी कार्य आवंटित है वे Random जांच करते हुए यह सुनिश्चित हो ले कि जिला स्तर पर जो डाटा अपलोड किया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो इसके निराकरण हेतु संबंधित को सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय। सहायक निदेशक उक्त की समीक्षा कर अगली बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।
10.	सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी	i	कार्य आवंटन	समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी है कि निदेशालय स्तर पर कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति की गति काफी धीमी है एवं कार्यो के प्रति उदासीनता भी बरती जा रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सहायक निदेशक, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी **दिनांक 31.01.2024** को बैठक करते हुए निदेशालय में प्रतिनियुक्त/पदस्थापित कर्मियों के प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के संबंध में वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
11.	श्री अशोक कुमार शर्मा, डी0सी0एल0आर0	i	न्यायालय से संबंधित।	CWJC, MJC, SLP एवं न्यायालयों से संबंधित मामलों का निष्पादन ससमय करने का निदेश दिया गया। बैठक में बताया गया कि 94 संविदा अमीनों को उनके भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण मामला न्यायालय में विचाराधीन है । निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर पर उक्त हेतु दिये गए आवंटन के विरूद्ध की गयी राशि के भुगतान का प्रतिवेदन संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय से प्राप्त करें। संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा भुगतान की कार्रवाई लम्बित होने की स्थिति में जिम्मेवारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय। निदेशालय को प्राप्त CWJC, MJC, SLP एवं न्यायालयों से संबंधित मामलों तथा निष्पादन/लम्बित मामलों की विवरणी समीक्षात्मक बैठक में उपस्थापित किया जाय।

12.	श्री विजय सम्राज्य, सहायक (बि0प्रो0मै0यू0)	i	LGD Code से संबंधित	पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि 1048 मौजों में लगभग 700 ग्रामों के नामों में हुई त्रुटि का निराकरण किया जाना शेष है। 2000 मौजों के नामों को Delete करने के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि यह कार्य अभी भी लम्बित है। इस संबंध में संबंधित प्रोग्रामर/उप निदेशक को निदेश दिया गया कि इस संबंध में e-Mail के माध्यम से संबंधित वरीय पदाधिकारी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए इस कार्य को पूर्ण करायें।
13.	श्री संतोष कुमार, लेखापाल (बि0प्रो0मै0यू0)	i	टैली सॉफ्टवेयर से संबंधित	टैली सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया टैली सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि का कार्य किया जा रहा है।
		ii	ऑडिट से संबंधित	ऑडिट/आडिट फर्म के संबंध में कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।
14.	श्री सुमन जी कपूर, प्रधान लिपिक	i	बेल्ट्रॉन से संबंधित	बेल्ट्रॉन में लम्बित मामलों (Pending Issues) के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से स्मार देने का निदेश दिया गया।
15.	श्री मो0 अली, प्रभारी, आई0टी0 कोषांग	ii	आई0टी0 से संबंधित।	(क) बैठक में पृच्छा करने पर प्रभारी, आई0टी0 कोषांग द्वारा बताया गया पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश के बावजूद "डोर स्टेप डिलेवरी" सॉफ्टवेयर एवं Attendance App का Security Audit का महत्वपूर्ण कार्य लम्बित है, जो खेदजनक है। निदेश दिया जाता है कि इसी सप्ताह में सिक्यूरिटी आडिट से संबंधित लम्बित कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। (ख) पुराना CS/RS मानचित्रों के सॉफ्टवेयर में अपलोड के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित प्रोग्रामर श्री अभितोष कुमार द्वारा बैठक में आधा–अधुरा प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें अनेक तथ्य भ्रामक थे। जिन जिलों कां पूर्व में CS/RS मानचित्र अपलोड हो चुका हैं उसका जिक्र भी प्रतिवेदन में नहीं था। इस प्रकार कार्यो के प्रति गंभीर लापरवाही के लिए कारण पृच्छा का निदेश दिया गया। (ग) बैठक में ज्ञात हुआ कि श्री कुमार कन्हैया, वि0सर्वे0 लिपिक कई दिनों से बगैर किसी सूचना के अनुपस्थित है। उनके द्वारा फोन भी Receive नहीं किया जा रहा है। सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि इस संबंध में पीत–पत्र भी प्रेषित है एवं कारण पृच्छा भी की गयी है। निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में संचिका उपस्थापित कर कार्रवाई यथाशीघ्र की जाय। इस प्रकार के मामले में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाय। (घ) पूर्व में निदेशालय स्तर से संचालित सॉफ्टवेयर Single VM सर्वर पर चल रहा है जिससे जिलों में Access/Speed की समस्या बनी रहती है एवं उक्त सॉफ्टवेयर के संचालन में भी असुविधा होती है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा आई0टी0 से संबंधित साप्ताहिक बैठक में आई0टी0 टीम से समन्वयय स्थापित कर समस्या का सामाधन करें एवं इससे अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

4. समीक्षात्मक बैठक के पूर्व दिये गए निदेश के अनुपालन की समीक्षा अपने स्तर से सहायक निदेशक/उप निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी करेंगे। बैठक में दिये गए निदेश का यदि Compliance नहीं हुआ है तो संबंधित पदा0/कर्मी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण अगली बैठक से पूर्व निश्चित रूप से उपस्थापित करेंगे।

5. उक्त के अतिरिक्त पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश, जिसका अनुपालन नहीं किया जा सका है, को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश एवं सभी कर्मियों को अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

6. यदि कार्यवाही में अंकित कोई लम्बित कार्य किसी कर्मी विशेष से सम्बद्ध नहीं दर्शाया गया है तो प्रशाखा पदाधिकारी अपने स्तर से उक्त कार्य को यथा उचित सम्बन्धित कर्मी से टैग कर लिखित रूप से सूचित करेंगे तथा उक्त कर्मी अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन देंगे।

25/1/24

(जय सिंह)
सचिव –सह– निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 04 /गो0 पटना, दिनांक 25-01-2024

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक/उप निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित अन्य पदा0 एवं कर्मी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/24

सचिव –सह– निदेशक

ज्ञापांक :– 04 /गो0 पटना, दिनांक 25-01-2024

प्रतिलिपि :– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

सचिव –सह– निदेशक

25/1/24